प्रेस नोट संख्या- 18
दिनांक- 21.11.2024
सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "operation conviction" अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष काठोर कारावास एवं 15,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में operation conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोगों में अभियोजन अधिकारी/न्यायालय पैरोकार एवं मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सुलतानपुर में मु0अ0सं0 176/19 धारा 354/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना अमेठी के अभियुक्त नेता उर्फ सूबेदार पुत्र बाबूराम निवासी नेवरा पटना थाना कुड़ेभार सुलतानपुर को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे-12 पॉक्सो कोर्ट सुलतानपुर द्वारा अभियुक्त को दिनांक 20.11.2024 को धारा ¾ पॉक्सो एक्ट मे 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रु0 अर्थदण्ड एवं धारा 354 भादवि मे 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रश्नगत अभियोग मे वादिनी मुकदमा के दिनांक 12.05.2019 समय 11.24 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्त उपरोक्त द्वारा छेड़खानी व अश्लील हरकत करने की तहरीर पर मु0अ0सं0 176/19 धारा 354/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना अमेठी पर पंजीकृत होकर विवेचक उ0निरी0 प्रदीप मिश्रा द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-240 दिनांक 20.09.2019 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।